

प्रेस नोट- थाना पुवायां

सराहनीय कार्य दिनांक : 20.04.2025

थाना पुवायां पुलिस द्वारा युवती को शादी का झांसा देकर बलात्कार करना व धर्म परिवर्तन कराने का दबाब बनाने के अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के निर्देशनुसार, श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुवायां के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे रोकथाम अपराध व गिरफ्तारी अपराधी के सघन अभियान के क्रम में थाना पुवायां पुलिस द्वारा युवती को शादी का झांसा देकर बलात्कार करना व धर्म परिवर्तन कराने का दबाब बनाने के अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 15.04.2025 को वादिनी द्वारा थाना पुवायां पर तहरीर देकर अभियुक्त तौहीद खां पुत्र असीतुल्ला खां निवासी ग्राम पकडिया हकीम थाना पुवायां जिला शाहजहांपुर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया। जिसकी विवेचना म0उ0नि0 श्रीमति मंजू चौधरी द्वारा आरम्भ की गयी तथा घटना की सूचना तत्काल अधिकारीगण को दी गयी उनके द्वारा घटना को गम्भीरता से लेते हुए तत्काल अभियुक्त की गिरफ्तारी के आदेश दिये गये। जिसके अनुपालन में थाना पुवायां पुलिस टीम द्वारा मुखविर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्त तौहीद खां उपरोक्त को मोहम्मदी मोड से समय 13.50 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. तौहीद खां पुत्र असीतुल्ला उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम पकडिया हकीम थाना पुवायां जनपद शाहजहांपुर

पंजीकृत अभियोग/गिरफ्तारी:-

1. मु0अ0सं0 302/2025 धारा 351(2)/78(1)/123/64(2)(M) बीएनएस व 3/5 उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम थाना पुवायां शाहजहांपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- म0उ0नि0 श्रीमति मंजू चौधरी थाना पुवायां जनपद शाहजहांपुर
- का0 2790 शिव कुमार थाना पुवायां जनपद शाहजहांपुर